



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

www.ggu.ac.in Ph. No. 07752 - 260021

क. 184/अका./2013

बिलासपुर, दिनांक 27/11/13

**:: अधिसूचना ::**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.10.2013 में विषय क्रमांक 03 के अंतर्गत शोध नियमन R-6.2 में प्रावधानित शोध निर्देशकों/पर्यवेक्षकों की पात्रता पर पुनर्विचार किया गया।

विचारोपरांत विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को शोध निर्देशक/पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी :-

"A faculty member from University Teaching Department/Affiliated Colleges/Scientist or Teacher from national Institute of repute shall be considered as a thesis supervisor only if he/she fulfils the criteria of having published at least 05 research papers in reputed peer reviewed/reputed national/international journals in last five years."

शोध नियमन R-6.2 (i) एवं (ii) उपरोक्तानुसार एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 27/11/13

पृ.क. 185/अका./2013

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/सम-कुलपति जी के सचिव/निज सहायक को माननीय कुलपति/सम-कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/स.कु.स. (परीक्षा/गोप.-1, 2) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, सी.एस.आई.टी. विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

सहा. कुलसचिव (अका.)

193510817  
29/11/13

27/11/13

29/11/13

27/11/13